

वन विभाग, हरियाणा

आवश्यक सूचना – 9

(काष्ठ आधारित उद्योग)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग हरियाणा द्वारा राज्य में नये लाईसेंस हेतु आवेदन मंगवाये गये थे। प्राप्त आवेदनों में जो आवेदनकर्ता लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु राज्य समिती द्वारा योग्य पाये गये उन्हें प्रस्ताव पत्र (offer letter) जारी किया गया है।

सभी योग्य आवेदनकर्ता जिन द्वारा प्रस्ताव पत्र प्राप्त किया गया है तथा उन्हें लाईसेंस जारी करने हेतु सभी प्रक्रियायें पूर्ण करनी हैं, उन द्वारा कुछ प्रक्रियाओं/आवश्यकताओं पर आपत्ती उठाई गई थी तथा उनमें रियायतें देने बारे अनुरोध किया गया था।

आवेदनकर्ताओं के अनुरोध को ध्यान में रखते हुये लाईसेंस प्रक्रिया से जुड़े मुददों पर गहन विचार करने उपरान्त सरकार द्वारा अब लाईसेंस जारी करने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे निम्न प्रकार से निर्णय लिये गये हैं:—

1. सभी योग्य आवेदनकर्ताओं को जिन्हें प्रस्ताव पत्र (offer letter) भेजा गया है उन्हें अब उसे स्वीकार करने उपरान्त बैंक गारंटी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। स्वीकार पत्र के साथ अब उन्हें केवल एकमुश्त राशि की बकाया राशि तथा लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन फीस की राशि जमा करनी होगी।
2. प्रस्ताव पत्र में लाईसेंसी को उसकी युनिट स्थापित करने के लिये 12 महीने की अवधि दि गई थी जिसे राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से और 6 महीने तक बढ़ाने का प्रावधान था। अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक लाईसेंसी को उसकी युनिट स्थापित करने हेतु 24 महीने का समय उपलब्ध होगा जिसे वह राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से 6 महीने तक बढ़ा सकता है।
3. प्रस्ताव पत्र में काष्ठ आधारित उद्योगों के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि काष्ठ आधारित उद्योगों को जो लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा वह जारी करने की तिथि से या नवीनीकरण की तिथि से 5 वर्ष तक वैध रहेगा।
4. अतः सभी आवेदनकर्ता जिन्हे काष्ठ आधारित उद्योगों के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी करने हेतु प्रस्ताव पत्र भेजा गया है, उन्हें इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दिये

